

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर (प्रशिक्षण निदेशालय)


क्रमांक:- प.11(01)प्रशि/पॉलिसी/2021/6839

दिनांक:- 08/07/2021

स्थाई आदेश संख्या-85/2021


स्थाई आदेश संख्या-21/2014 दिनांक 13.10.2014 द्वारा राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी/एमबीसी) सामान्य ड्यूटी के सीधी भर्ती से नव नियुक्त रिक्त कानिस्टेबल के लिए जारी किए गए प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधिक्रमण में 09 माह (36 सप्ताह) अवधि का संलग्न नवीन प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी किया जाता है।

संलग्न:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।


(एम. एल. लाठर)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ़।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
10. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/ खैरवाड़ा/ झालावाड़/ अलवर/ भरतपुर/ बीकानेर/ पीएमडीएस, बीकानेर/ पीसीटीएस, जोधपुर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.)

प्रशिक्षण अवधि

1	प्रशिक्षण अवधि	270 दिन (9 माह / 36 सप्ताह)
2	राजपत्रित अवकाष (रविवार व अन्य)	72 दिन
3	मध्यावधि परीक्षा	06 दिन
4	मध्यावधि अवकाष	06 दिन
5	जंगल कैम्प:- (केवल आउटडोर विषय का अध्यापन होगा)	12 दिन
6	अन्तिम परीक्षा एवं दीक्षान्त परेड	20 दिन
7	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस/सप्ताह (6 कार्य दिवस का एक सप्ताह)	154 दिन
8	प्रशिक्षण हेतु कालाष – (क) इण्डोर प्रशिक्षण-चार कालांश प्रतिदिन तीन कालांश अध्यापन एवं एक कालांश ऑडियो/विडियो -राजस्थान शस्त्र दल एवं मेवाड़ भील कोर महत्वपूर्ण व्यवहारिक क्रिया कलाओं पर केन्द्रित	154 x 4 = 616
	(ख) आउटडोर प्रशिक्षण – चार कालांश प्रतिदिन	154 x 4 = 616
	(ग) खेल कालांश – एक कालांश प्रतिदिन सामान्य खेल – 34 आउटडोर प्रशिक्षण क्षमता का विकास – 60 स्पेशियलाइज्ड खेल – 60	154 x 1 = 154
	कुल आउटडोर कालांश	616 + 154 = 770
	योग कालांश (इण्डोर + आउटडोर)	616 + 770 =1386




प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/ एम.बी.सी.)

अंक विभाजन


क.स.	प्रश्न पत्र	कालांश	पूर्णांक	न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत	न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिभाशाली प्रशिक्षु 80 %
(अ) इण्डोर					
1.	प्रथम- सामान्य विधि	156	125	56.25	100
2.	द्वितीय- आधुनिक भारत, पुलिस व्यवहार, पुलिस संगठन एवं प्रशासन	146	150	67.50	120
3.	तृतीय- पुलिस कार्य प्रणाली	160	150	67.50	120
4.	ऑडियो-विडियो	154	00	—	—
5.	प्रभारी इण्डोर द्वारा मूल्यांकन	00	25	11.25	20
	योग इण्डोर	616	450	202.50	360
(ब) आउटडोर					
6.	प्रथम- शारीरिक प्रशिक्षण	170	100	45	80
7.	द्वितीय - ड्रिल	170	100	45	80
8.	तृतीय- हथियारों का ज्ञान व मस्केट्री	170	150	67.50	120
9.	चतुर्थ - पुलिस विषय	75	75	33.75	60
10.	पंचम - फिल्ड क्राफ्ट	31	25	11.25	20
11.	खेल प्रतिदिन सांयकालिन एक कालांश	154	00	—	—
12.	जंगल कैम्प	12 दिन	00	—	—
13.	संस्था प्रधान द्वारा मूल्यांकन	00	50	22.50	40
	योग आउटडोर	770	500	225	400
14.	समग्र परीक्षा	कालांश	पूर्णांक	न्यूनतम उर्तीणांक 50 %	न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिभाशाली प्रशिक्षु 80 %
	महायोग	1386	950	475	760

नोट :- जंगल कैम्प का पूर्णांक 50 अंको का होगा, जिसमें कम से कम 22.50 अंक उर्तीण करने के लिए आवश्यक होंगे। जंगल कैम्प में किये गये प्रदर्शन के अंक आउटडोर में नहीं जोड़े जायेंगे। संस्था प्रधान द्वारा मूल्यांकन करते समय जंगल कैम्प के प्रदर्शन को भी सन्निहित किया जायेगा।


3

खण्ड 1- पाठ्यक्रम इण्डोर

क्र.स.	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
1.	प्रथम	सामान्य विधि	156	125
		भाग I : भारतीय दण्ड संहिता, 1860	60	50
		भाग II : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	30	25
		भाग III : भारतीय साक्ष्य अधिनियम	06	10
		भाग IV : केन्द्रीय विशेष अधिनियम	30	20
		भाग V : राजस्थान के विशेष अधिनियम एवं नियम	30	20
2.	द्वितीय	आधुनिक भारत, पुलिस व्यवहार, पुलिस संगठन एवं प्रशासन	146	150
		भाग I : भारतीय संविधान	10	10
		भाग II : राष्ट्रीय परम्पराएं और आधुनिक भारत का निर्माण	12	10
		भाग III : राजस्थान पुलिस : संगठन तथा कार्यक्षेत्र	20	20
		भाग IV : प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था	12	15
		भाग V : केन्द्रीय पुलिस संगठन	20	20
		भाग VI : विभिन्न आयोग-संक्षिप्त जानकारी तथा पुलिस दायित्व	12	15
		भाग VII : मानव व्यवहार एवं पुलिस व्यवहार	25	25
		भाग VIII : पुलिस व्यवहार, सदाचार एवं नैतिकता	10	10
		भाग IX : अन्तर्व्यक्तित्व कौशल तथा प्रबन्धन	10	10
		भाग X : मानवाधिकार तथा लैंगिक संवेदनशीलता	10	10
		भाग XI : अवकाश तथा वित्तीय परिलब्धियां	05	05
3.	तृतीय	पुलिस कार्य प्रणाली	160	150
		भाग I : पुलिस थाना तथा पुलिस लाईन्स	30	25
		भाग II : राजस्थान सशस्त्र दल/मेवाड़ भील कोर/हाड़ीरानी/महाराणा	25	20
		भाग III : कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा	15	15
		भाग IV : सुरक्षा व इन्टैलिजेन्स	15	15
		भाग V : चुनाव व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन	15	15
		भाग VI : पर्यावरण संरक्षण तथा पुलिस दायित्व	05	05
		भाग VII : प्राथमिक चिकित्सा	10	10
		भाग VIII : कम्प्यूटर	30	30
		भाग IX : कानिस्टेबल के बटालियन में कर्तव्य, कृत्य तथा भूमिका	15	15
4.	चतुर्थ-	इण्डोर प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा कार्य मूल्यांकन- पुस्तकालय का उपयोग, कार्य में पहल, सीखने में उत्सुकता, व्यवहारिक कार्य में उत्कृष्टता एवं अनुशासन के आधार पर	0	25
		कुल योग इंडोर विषय	462	450



खण्ड 2- पाठ्यक्रम, आउटडोर विषय

क्र.स.	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
1.	I	शाररिक प्रशिक्षण (पी.टी.)	170	100
2.	II	कवायद (ड्रिल)	170	100
3.	III	हथियारों का ज्ञान, मस्केट्री एवं वेपन फायरिंग	170	150
4.	IV	पुलिस विषय	75	75
5.	V	फिल्ड क्राफ्ट	31	25
6.	VI	खेल एवं आउटडोर प्रशिक्षण, क्षमता का विकास	154	—
7.	VII	जंगल कैम्प, जंगल प्रवास, सहिष्णुता, जहरीले जानवरों से बचाव, रूट मार्च, रात्रिकाल में दिशा और नक्षत्र ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, पशु और पक्षी की पहचान, आवाज का ज्ञान, नक्शे पर स्थान की पहचान और ढूँढना, अपराधी से मुठभेड़ होने पर की जाने वाली कार्यवाही का अभ्यास, गिरिजन / आदिवासी संस्कृति परिचय, हथियार और सामान सहित लंबी दूरी का मार्च, नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्र पार करना, घात लगाना और बचाव दस्यू विरोधी अभियान की सिखलाई।	12 दिवस	—
8.	VIII	कार्य मूल्यांकन- संस्था प्रधान द्वारा कोर्स में रुचि अनुशासन, टर्न आउट, कार्यसम्पादन में उत्कृष्टता और पहल, सह प्रशिक्षु से परस्पर व्यवहार व जंगल कैम्प के प्रदर्शन के आधार पर	—	50
कुल योग			770	500



भाग I : भारतीय दण्ड संहिता, 1860

पाठ्यक्रम			कालांश	अंक	
अध्याय	विषय-वस्तु	धाराएं			
02	सामान्य विवेचन- लोक सेवक की परिभाषा	21	60	50	
04	सामान्य अपवाद	76, 82 से 85, 96,97,99,100,103			
06	दुष्प्रेरण	107, 109			
08	लोक प्रशासन के विरुद्ध अपराध	141,143,146,147,149,153ए,159,160			
09	लोक सेवकों द्वारा अपराध	166 से 171,171सी,171डी,171एफ			
10	लोक सेवक को मिथ्या सूचना व उसके कार्यों में बाधा	182, 186			
12	लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना	279			
15	धर्म से संबंधित अपराध	295, 295ए, 296			
16	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	आपराधिक मानव वध, हत्या तथा प्रयास			299,300,302,304,304ए,304बी,307
		चोट तथा गंभीर चोट			319,320,323-326,326ए, 326बी, 330-333,336-338
		आपराधिक बल तथा हमला	353,354,354क,354ख,354ग,354घ		
		बलात्कार तथा प्रकृति विरुद्ध यौन अपराध	375,376,376ए,376एबी,376बी,376सी,376डी,376डीए,376डीबी,376ई,377		
17	सम्पत्ति विरुद्ध	चोरी	378 से 382		
		उद्दापन	383, 384		
		लूट	390, 392, 394		
		डकैती	391, 395, 396, 399, 402		
20	पति या पति के नातेदार द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता	498ए			
23	अपराधों का प्रयास	511			

भाग II : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

पाठ्यक्रम			कालांश	अंक
अध्याय	विषय-वस्तु	धाराएं		
1	परिभाषाएँ – जमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध, अन्वेषण तथा असंज्ञेय अपराध	2(a), (c), (h), (i),(o)	30	25
4	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता	36, 37		
5	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41, 41क, 42, 46 से 58, 60		
8	परिशांति कायम रखने एवं सदाचार के लिए प्रतिभूति	107, 108, 109, 110		
10	लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना	129 से 132, 144		
11	पुलिस का निवारक कार्य	151		

भाग III : भारतीय साक्ष्य अधिनियम

पाठ्यक्रम			कालांश	अंक
अध्याय	विषय-वस्तु	धाराएं		
1	तथ्य, सुसंगत, साक्ष्य, दस्तावेज	3	06	10
2	संस्वीकृति	24 से 27		
2	मृत्युकालिन कथन	32(i)		
2	विशेषज्ञों की राय	45		

भाग IV : केन्द्रीय विशेष अधिनियम

पाठ्यक्रम		कालांश	अंक
अधिनियम	धाराएं		
मोटर वाहन अधिनियम, 1988	3 / 181, 4 / 181, 5 / 180, 39 / 192, 133, 134, 146 / 196, 183, 184, 185, 194B, 194D, 197, 207	30	20
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1988	2, 3		
बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012	3 से 12, 19, 21, 23, 24, 27		
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	3, 4		
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	2(क), 12		
लोक सम्पति हानि निवारण अधिनियम, 1984	2(ए), 3, 4, 5		
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005	3, 5		
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं 1971	129(3), 130(2), 131, 134		
आयुध अधिनियम, 1959	3, 4, 25 (IB) (a) (b)		
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	14, 25, 44, 45, 51, 52, 53, 54		
किशोर न्याय अधिनियम 2015	2, 4, 13, 21, 22, 74, 75, 76, 94, 107		
कोटपा अधिनियम 2003	4, 5, 6, 7		
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोष) अधिनियम -2013	02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 26		

भाग V : राजस्थान के विशेष अधिनियम एवं नियम

पाठ्यक्रम		कालांश	अंक
अधिनियम/नियम	धाराएं/नियम		
राजस्थान सशस्त्र दल अधिनियम, 1950	5 से 8	30	20
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950	16, 19, 54, 54ए, 54बी, 54सी, 54डी, 56, 58सी		
राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007	29 से 41, 60, 61		
राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन, 1948	145, 146, 170, 188		
राजस्थान पुलिस नियम, 1965	7(1)		
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	14, 16 से 26, 34 से 36		
राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020	3 से 6, 8, 9, 11		

प्रश्न पत्र : द्वितीय – आधुनिक भारत, पुलिस व्यवहार, पुलिस संगठन एवं प्रशासन

कालांश – 146

अंक– 150

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
भाग I : भारतीय संविधान 1. उद्देशिका 2. मूलभूत अधिकार – अनुच्छेद : 13 से 32 3. मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51 (क)	10	10
भाग II : राष्ट्रीय परम्पराएं और आधुनिक भारत का निर्माण 1. राष्ट्रीय एकता व पुलिस की भूमिका 2. मुख्य सामाजिक समस्याएं व निराकरण हेतु पुलिस का दायित्व 3. समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु पुलिस का दायित्व व कर्तव्य 4. स्वतंत्रता उपरान्त हुए राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव और पुलिस के कर्तव्य,	12	10
भाग III : राजस्थान पुलिस : संगठन तथा कार्यक्षेत्र 1. राजस्थान सशस्त्र दल एवं स्पेशल यूनिट (ईआरटी, एसटीएफ कमाण्डो) 2. मेवाड़ भील कोर/हाडीरानी/महाराणा प्रताप/जेल सुरक्षा/एस.डी.आर.एफ. 3. राजस्थान पुलिस 4. सी.आई.डी., अपराध और विशेष शाखा 5. एंटी टैरोरिस्ट स्क्वाड (ए.टी.एस.) 6. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) 7. राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.) 8. राजस्थान स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 9. पुलिस वायरलैस 10. होम गार्ड 11. कारागृह 12. घुड़सवार पुलिस 13. पुलिस डॉग स्कवॉड 14. बम डिस्पोजल स्कवॉड 15. आरमौर	20	20
भाग IV : प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था (क) राजस्थान प्रशासन : पुलिस व प्रशासन में पारस्परिक समन्वय 1. जिला प्रशासन, उपखण्ड, तहसील 2. जिला परिषद 3. पंचायत समिति 4. ग्राम पंचायत	12	15
भाग V : केन्द्रीय पुलिस संगठन (क) केन्द्रीय पुलिस संगठनों एवं अर्द्ध सैनिक बलों का संक्षिप्त परिचय 1. आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) 2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) 3. सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) 4. रेल्वे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) 5. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सी.आर.पी.एफ.) 6. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) 7. भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) 8. सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) 9. विशेष सुरक्षा दल (एस.पी.जी.) 10. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) 11. राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी (एन.आई.ए.) 12. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एन.टी.आर.ओ.) (ख) पुलिस रैंक, बैज एवं पताका : परिचय	20	20

<ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस अधिकारियों द्वारा धारण किये जाने वाले रैंक व बैज 2. पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों पर लगने वाले स्टार व झण्डे 3. सेना की तीनों शाखाओं की रैंक व बैज 4. पुलिस ध्वज की जानकारी व फहराने के नियम 		
<p>भाग VI : विभिन्न आयोग-संक्षिप्त जानकारी तथा पुलिस दायित्व</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राजस्थान मानवाधिकार आयोग 2. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राजस्थान महिला आयोग 3. राष्ट्रीय सूचना आयोग तथा राजस्थान सूचना आयोग 4. राष्ट्रीय एस.सी./एस.टी. आयोग 	12	15
<p>भाग VII : मानव व्यवहार एवं पुलिस व्यवहार</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मानव व्यवहार तथा मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत व पुलिस कर्तव्य 2. भीड़ तथा उपद्रवियों के व्यवहार तथा मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत व पुलिस के कर्तव्य 3. निम्नलिखित परिस्थितियों में पुलिस कानिस्टेबल का सद्व्यवहार, कर्तव्य एवं भूमिका <ul style="list-style-type: none"> क. विद्यार्थियों व युवा वर्ग के साथ ख. श्रमिकों के साथ ग. महिलाओं व बच्चों के साथ घ. वृद्ध व विकलांग के साथ ड. प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ 	25	25
<p>भाग VIII : पुलिस व्यवहार, सदाचार एवं नैतिकता</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नैतिकता क्या है और पुलिस में नैतिकता व सदाचार की आवश्यकता तथा कानि. के अपेक्षित चाल-चलन और शिष्टाचार के नियम। 2. पुलिस आचार संहिता 3. पुलिस जनता के बीच सम्बन्ध 4. पुलिस कर्मियों में जातिगत, क्षेत्रगत तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना के दुष्परिणाम 5. पुलिस कर्मियों की अपराध में लिप्त होने पर समाज पर पड़ने वाला कुप्रभाव 6. राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 संक्षिप्त परिचय 7. पुलिस व मीडिया के सम्बन्ध 	10	10
<p>भाग IX : अन्तर्व्यैक्तिक कौशल तथा प्रबंधन</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्प्रेषण कौशल 2. नेतृत्व कौशल तथा ब्रिफिंग 3. टीम वर्क 4. सुदृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताएं 5. तनाव तथा तनाव प्रबंधन में योगाभ्यास तथा प्राणायाम का महत्व 	10	10
<p>भाग X : मानवाधिकार तथा लैंगिक संवेदनशीलता</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय संविधान में मानवाधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व 2. आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में मानवाधिकार के मुद्दे, साम्प्रदायिक स्थितियों तथा डिस्टर्ब एरिया के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, पुलिसकर्मियों द्वारा निषिद्ध तथा अनुकरणीय कार्य 3. लैंगिक संवेदनशीलता 	10	10
<p>भाग XI : अवकाश तथा वित्तीय परिलब्धियां</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवकाश के प्रकार तथा नियम, उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व तथा पितृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश तथा चाईल्ड केयर लीव 2. यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता तथा दावे 3. नवीन पेंशन योजना 4. पुलिस कल्याणकारी योजनाएं 5. वित्तीय प्रबंधन 	05	05

प्रश्न पत्र : तृतीय – पुलिस कार्य प्रणाली

कालांश – 160
अंक – 150

पाठ्यक्रम	कालांश	अंक
<p>भाग I : पुलिस थाना तथा पुलिस लाईन्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजनामचा लिखने के साधारण सिद्धांत व राजस्थान पुलिस नियम, 1948 का नियम 279 2. पुलिस थाने और पुलिस लाईन में संतरी ड्यूटी करते समय संतरी के कर्तव्य और राजस्थान पुलिस नियम, 1948 के नियम 143, 146, 148, 150, 157, 158, 162, 170, 202, 203, आगन्तुकों के साथ सदाचार व मानवीय व्यवहार 3. एस्कॉर्ट ड्यूटी :- <ol style="list-style-type: none"> (1) कैदी को अदालत और जेल ले जाते समय संतरी के कर्तव्य (2) अस्पताल गार्ड में लगे संतरी के कर्तव्य और राजस्थान पुलिस नियम, 1948 के नियम 173, 174, 177 (3) बैंक आदि स्थानों से नगद राशि व बहुमूल्य वस्तु ले जाते समय एस्कॉर्ट ड्यूटी (4) रेल्वे ट्रेन और बसों में एस्कॉर्ट ड्यूटी, 4. कमाण्ड सर्टिफिकेट और उपयोग 5. पुलिसकर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के सामान्य नियम 6. गश्त के साधारण नियम और कानि. के कर्तव्य 	30	25
<p>भाग II : राजस्थान सशस्त्र दल/मेवाड़ भील कोर/हाड़ीरानी/महाराणा प्रताप/जेल सुरक्षा/एसडीआरएफ कार्य व्यवस्था</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सेक्शन, प्लाटून, कम्पनी तथा बटालियन – कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन 2. सशस्त्र दल के आदर्श जवान के कर्तव्य और दायित्व 3. पोस्ट निगरानी, नाकाबंदी, पेट्रोलिंग, दबिश, एस्कोर्ट ड्यूटी, वायरलैस ड्यूटी, 4. रिवाइड एवं गेलेन्ट्री प्रमोशन 5. कठोर दण्ड भुगताने की व्यवस्था, 	25	20
<p>भाग III : कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करना तथा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग 2. साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे फसाद नियंत्रित करने में पुलिस की भूमिका और राजस्थान पुलिस नियम, 1948 का नियम 184, 185, 189 आदि। 3. जुलूस, सभा, समारोह को शांतिपूर्ण नियंत्रित करने में पुलिस/राजस्थान सशस्त्र दल की भूमिका व कर्तव्य, 4. मेलों (केस स्टडी-उर्स मेला), त्योहारों व अन्य धार्मिक अवसरों पर पुलिस प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल का कर्तव्य 5. धार्मिक तथा जातीय दंगे व पुलिस के कर्तव्य व सहयोग 6. कपर्धू दंगा ग्रस्त क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा व्यवस्था तथा कपर्धू, फ्लैग मार्च, पिकेट्स एवं नाकाबंदी 7. रेल्वे व वाहन दुर्घटना के समय तैनात बल के कर्तव्य, 8. किसान आंदोलन (केस स्टडी-घड़साना किसान आंदोलन) 9. कानून व्यवस्था ड्यूटी (केस स्टडी-आनन्दपालसिंह एंकाउण्टर) 	15	15
<p>भाग IV : सुरक्षा व इन्टैलिजेन्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विशिष्ट व्यक्ति को अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट या हेलिपेड, रूट लाइनिंग पर, सभा स्थल पर पुलिस इंतजाम में कानि. के कर्तव्य 2. एंटी सबोटेज चैकिंग 3. महत्वपूर्ण संस्थानों यथा मंदिर पुरातत्व स्थल, बांध, विद्युत सयंत्र, ऑयल डिपो इत्यादि की सुरक्षा जोखिम विश्लेषण तथा मूल्यांकन 	15	15

<p>4. विस्फोटक पदार्थों तथा बम संबंधी ज्ञान एवं सुरक्षात्मक कार्यवाहियां</p> <p>5. पी.एस.ओ. के कर्तव्य तथा शिष्ट आचरण</p> <p>6. वी.आई.पी. सुरक्षा के आधारभूत सिद्धान्त एवं तकनीकी उपकरण—सी.सी.टी.वी., एच. एच.एम.डी, डी.एफ.एम.डी, डी.एस.एम.डी., जैमर इत्यादि।</p> <p>7. गृह सुरक्षा दल/नजदीक सुरक्षा दल भूमिका तथा कर्तव्य</p>		
<p>भाग V : चुनाव व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन</p> <p>1. शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु तैनाती पर राजस्थान सशस्त्र दल के पुलिस कानिस्टेबल की ड्यूटी के नियम</p> <p>A. चुनाव पार्टी की सुरक्षा,</p> <p>B. मतपत्रों की सुरक्षा</p> <p>C. मतपेटियों की सुरक्षा</p> <p>D. मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना</p> <p>E. मतदान पेटियों की एस्कोर्ट ड्यूटी,</p> <p>2. प्राकृतिक आपदा पर जन साधारण की सहायतार्थ तैनात सशस्त्र दल के सदस्य की भूमिका तथा लोक सम्पत्ति की रक्षा में पुलिस का सहयोग –</p> <p>A. अकाल,</p> <p>B. बाढ़</p> <p>C. भूकम्प</p> <p>D. तूफान तथा चक्रवात</p> <p>E. ज्वालामुखी</p> <p>F. अग्नि की विभीषिका</p> <p>G. जल प्लावन तथा समुद्री तूफान</p> <p>H. भू-स्खलन</p> <p>I. सुनामी कहर</p> <p>J. महामारी- कोरोना</p>	10	15
<p>भाग VI : पर्यावरण संरक्षण तथा पुलिस दायित्व</p> <p>1. पर्यावरण का आशय तथा वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण के निवारण में जवान की भूमिका</p> <p>2. पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान</p> <p>3. जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या</p>	05	05
<p>भाग VII : प्राथमिक चिकित्सा</p> <p>1. प्राथमिक चिकित्सा – पुलिसकर्मियों द्वारा फर्स्ट एड, रक्त रत्राव बंद करने के तरीके, पट्टी के प्रकार व बांधने के तरीके, दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन की विधियां</p> <p>2. सामाजिक स्वास्थ्य तथा पुलिस</p>	05	10
<p>भाग VIII : कम्प्यूटर</p> <p>1. कम्प्यूटर की परिभाषा, भाग, कार्यप्रणाली तथा पुलिसकर्मियों में उपयोग</p> <p>2. माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस-एम.एस. वर्ड, एम.एस. एक्सल व एम.एस. पावर पॉइंट में कार्य करना,</p> <p>3. इंटरनेट, ई-मेल एकाउन्ट तथा गूगल सर्च का अनुप्रयोग</p> <p>4. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग एवं अनुप्रयोग</p> <p>5. डेटा एन्ट्री/टाईपिंग – अंग्रेजी/हिन्दी</p> <p>6. साइबर क्राइम- रोकथाम के उपाय, सावधानियाँ।</p> <p>7. कॉल डिटेल विश्लेषण</p> <p>8. पुलिस कार्य में उपयोगी एप्स।</p> <p>9. सीसीटीएनएस</p>	40	30
<p>भाग IX : कानिस्टेबल के बटालियन में कर्तव्य, कृत्य तथा भूमिका</p> <p>1. क्वार्टर गार्ड संतरी ड्यूटी</p> <p>2. मुख्य प्रवेश द्वार पर संतरी ड्यूटी- वाहनों तथा आगन्तुकों की चैकिंग</p> <p>3. मैग्जीन तथा कोत पर ड्यूटी</p> <p>4. मैस मेम्बर कानिस्टेबल की ड्यूटी</p> <p>5. कंट्रोल रूम में टेलिफोन ड्यूटी</p>	15	15

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय

प्रश्न पत्र—प्रथम (केवल पुरुषों के लिए)

क्र.स.	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
	प्रथम	पीटी	170	100
1	I कनेडियन पीटी फ्री हैंड 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक		40	10
2	II पीपीटी पुरुष (अ) 2.4 कि.मी दौड़ 10 मिनट/2 अंक (एक्सीलेंट), 10.30 मिनट/1½ अंक, 11 मिनट/1 अंक (ब) 5 मीटर शटल 01 मिनट में -17,16,15 अंक-01, ½, ¼ (स) बैण्ड नी सिटअप -35,30,25 प्रति मिनट अंक-01, ½, ¼ (द) 100 मी0 स्प्रिन्ट 13,14 एवं 15 प्रति सै. अंक-01, ½, ¼		10	05
3	III बीपीईटी -पुरुष (अ) 05 किमी दौड़ -25,30, 35 मिनट में अंक-6, 5, 3 (ब) 09 फिट डिच अंक-1, ½ (स) मंकी रॉप- अंक 2, 1 (द) 06 फिट दीवार - अंक 1, ½		10	10
4	योगासन-		15	05
5	ग्राउण्ड वर्क-गद्दे पर प्रशिक्षण		10	05
6	तीनो दर्जों के रस्सो पर प्रशिक्षण		10	10
7	घोडा (आडा व लम्बा)		10	05
8	वाक एवं रन-10 कि.मी 45, 50, 55 मिनट अंक - 15, 10, 06		18	15
9	बीम पर कार्य चिनअप अण्डरग्रिप-6, 5, 4 अंक- 5, 4, 3 ऑवरग्रिप 4, 3, 2 अंक- 5, 4, 3		15	10
10	असाल्ट-रूकावर्टें पार करना। सलगन- परिशिष्ट (अ) के अनुसार		15	10
11	उंची कूद- 5, 4, 3 अंक 2½, 2, 1 लम्बी कूद- 15, 14, 12 अंक 2½, 2, 1		07	05
12	यू.ए.सी- Holds, Release, kicks, Falls		10	10
13	नाईट रूट मार्च 08 किलोमीटर छठे सप्ताह में, 10 किलोमीटर 10 वें सप्ताह में, 15 किलोमीटर 20 वें सप्ताह में।		00	00
14	खेल (अ) सामान्य खेल - 34 (ब) आउटडोर प्रशिक्षण क्षमता का विकास (पी.टी., ड्रिल, वेन्यन एण्ड टैक्टिक्स, एथलिटिक्स, कमाण्डो एण्ड यू.ए.सी) - 60 (स) स्पेशियलाइज्ड खेल - 60		00	00
	कुल योग		170	100

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय
प्रश्न पत्र-प्रथम (केवल महिलाओं के लिए)

क.सं.	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र प्रथम	विषय पीटी	कालांश	अंक
1	कनेडियन पीटी फ्री हैण्ड 10 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 4 तक		170	100
2	पीपीटी महिला - (क) 2.4 कि.मी दौड़ 12, 12.30, 13 मिनट अंक 5, 4, 3 (ख) 100 मीटर स्प्रिन्ट 17, 18, 19 सैकण्ड अंक 3, 2, 1 (ग) 05 मीटर शटल -15, 14, 13 अंक 3, 2, 1 (घ) बैण्ड नी सिटअप - 35., 30, 25 प्रति मिनट, अंक- 2, 1, 1/2 (ङ) ब्रॉड जम्प (स्टेण्डिंग) - 07, 06, 05 फिट, अंक- 2, 1, 1/2		40	10
3.	योगासन		10	15
4.	ग्राउण्ड वर्क - गद्दे पर काम।		15	10
5.	रस्से पर प्रशिक्षण तीसरा दर्जा।		10	07
6.	घोडा केवल आडा		10	08
7.	वाक एवं रन 08 कि.मी समय 40, 45, 50 मिनट अंक - 10, 07, 05		10	07
8.	बीम पर बैलेन्स बनाकर चलना।		18	10
9.	असाल्ट-रूकावटें पार करना। सलगन- परिशिष्ट (अ) के अनुसार		25	06
10	ऊंची कुद 3.1/2, 3, 2.1/2 फुट, अंक-3 1/2, 3, 2 लम्बी कुद 12,11,10 फुट, अंक-3 1/2, 3, 2		15	10
11.	यू.ए.सी.- Holds, Release, kicks, Falls		07	07
12.	नाईट रूट मार्च 08 कि.मी. छठे सप्ताह में, 10 कि.मी. 10 वें सप्ताह में एवं 15 कि.मी. 20 वें सप्ताह में		10	10
13.	खेल -(अ) सामान्य खेल -34 (ब) आउटडोर प्रशिक्षण क्षमता का विकास (पी.टी. ड्रिल, वेन्य एण्ड टैक्टिस, एथेलिटिक्स कमाण्डो एण्ड यू.ए.सी)- 60 (स) स्पेशियलाइज्ड खेल - 60		00	00
	कुल योग		170	100



प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय
प्रश्न पत्र-द्वितीय

क्र.सं.	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र द्वितीय	विषय कवायद (ड्रिल)	कालांश 170	अंक 100
1.	टर्न आउट		05	05
2.	खाली हाथ ड्रिल		50	20
3.	राईफल सहित ड्रिल		30	20
4.	राईफल एक्सरसाईज		20	15
5.	केन ड्रिल		05	05
6.	गार्ड ड्यूटीज		15	10
7.	यातायात संकेत		05	02
8.	सेरेमोनियल ड्रिल		12	11
9.	कम्पनी ड्रिल/प्लाटून ड्रिल		10	05
10.	सम्मान गार्ड		10	05
11.	अन्त्येष्टि कवायद		08	02
	कुल योग		170	100

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय

प्रश्न पत्र—तृतीय

क.स.	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
	तृतीय	हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री एवं वेपन फायरिंग	170	150
1	.22 राईफल		05	02
2	12 बोर पम्प एक्शन गन		06	04
3.	5.56 एमएम इन्सास राईफल (अ) परिचय, विशेषताएं एवं हिस्से पुर्जों के नाम (ब) हथियारों का निरीक्षण एवं लेनदेन का तरीका (स) खोलना,जोड़ना,सफाई करना एवं साईट लगाना (द) भरना, खाली करना, तैयारी पोजिषन व मैक सेफ व फायर करना (य) तैयारी, सिस्त लेना एवं ट्रिगर ऑपरेशन (र) राईफल की चाल एवं रोकें तथा दूर करने के उपाय (ल) अलग-अलग पोजिषन से फायर करना (व) साईट बदलना, पाइंट ऑफ़ ऐम चुनना, ऐम बदलना एवं हरकती टारगेट पर फायर करना		15	08
4	7.62 एमएम एसएलआर राईफल		21	12
5	7.62 एमएम एलएमजी		15	07
6	5.56 एमएम इन्सास एलएमजी		15	07
7	9 एमएम कार्बाईन		05	03
8	9 एमएम एम.पी-5		05	03
9	5.56 एमएम जे.वी.पी.सी		05	03
10	एके 47 एवं एके 56 राईफल		10	06
11	प्रोजेक्टर पायरो टेक्निक (मिनी फ्लयेर पी-4)		04	02
12	38 बोर रिवाल्वर रूगर ,9एम एफ.एन. पिस्टल, ग्लोक पिस्टल की जानकारी		10	05
13	विस्फोटक व बम डिस्पोजल (आईईडी, डेटोनेटर, सेपटी फ्युज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना तथा बम थ्रेट कॉल एवं कार्यवाही)		05	04
14	फायरिंग व मस्केट्री (ऑन प्रेक्टीकल 35, सेमुलेटर 05)		40	80
15	एक्सीडेन्टल फायर से बचने के उपाय (अ) हथियारों को कोत मे जमा करवाते एवं निकालते समय सावधानी (ब) ड्यूटी के दौरान सावधानी (स) हथियार इस्तेमाल करने संबंधी फिल्म शो का समय-समय पर आयोजन		05	02
16	नाईट विजन डिवाइस		02	01
17	बुलेट प्रूफ जेकेट		02	01
	कुल योग		170	150

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय
कॉलम संख्या 14 के वेपन फायरिंग(अन्तिम परीक्षा) का विस्तृत विवरण

क.स	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
	तृतीय	फायरिंग	40	80
1.	<u>ए.के. 47/56 राईफल</u> 5 राउण्ड हिट फायर 100गज लाईंग पोजिशन इम्प्रोवाइज्ड टारगेट अंक -10 5 राउण्ड हिट फायर 100गज निलिंग पोजिशन इम्प्रोवाइज्ड टारगेट अंक-10 कमर से उपर लाल रंग अंक - 0 कमर से नीचे हरा रंग प्रत्येक हिट अंक-2 <u>5.56 एमएम इन्सास राईफल</u> 5 राउण्ड ग्रुपिंग फायर 100गज लाईंग पोजिशन टारगेट 4X 4		10	20
2.	<u>7.62 एमएम एस.एल.आर.</u> 5 राउण्ड ग्रुपिंग फायर 100गज लाईंग पोजिशन टारगेट 4X4, अंक-10 5 राउण्ड एप्लीकेशन फायर 100गज निलिंग पोजिशन टारगेट 4X 4, अंक-10 5 राउण्ड स्नेप शूटिंग फायर 200गज स्टेण्डिंग पोजिशन टारगेट 4X4, अंक-05		15	25
3.	<u>7.62 एमएम एल.एम.जी.</u> 5 राउण्ड एप्लीकेशन फायर 100गज लाईंग पोजिशन टारगेट 4X4		10	15
कुल			40	80
प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास करवाया जाना है:-				
1. 12वें सप्ताह के 10 राउण्ड .22 राईफल से 5 राउण्ड ग्रुपिंग एवं 5 राउण्ड एप्लीकेशन प्रेक्टिस लाईंग पोजीशन। टारगेट 1X1 रेन्ज 25 गज। 2. 18वें सप्ताह (मध्यावधि परीक्षा के दौरान) में 15 राउण्ड 7.62 एमएम एस.एल.आर. राईफल से 5 राउण्ड ग्रुपिंग लाईंग पोजीशन, 05 राउण्ड एप्लीकेशन निलिंग पोजिशन एवं 05 राउण्ड स्नेप शूटिंग स्टेण्डिंग पोजीशन तथा 15 राउण्ड 7.62 एमएम एल.एम.जी. के साथ लाईंग पोजीशन से 05 राउण्ड ग्रुपिंग, 05 राउण्ड एप्लीकेशन एवं 05 राउण्ड स्नेप शूटिंग प्रेक्टिस। टारगेट 4X4 ग्रुपिंग एवं एप्लीकेशन फायर हेतु तथा टारगेट 22" स्नेप शूटिंग फायर हेतु 3. 24वें सप्ताह में <u>10 राउण्ड 9एमएम कारबाईन/एमपी-5 से</u> (05 राउण्ड एम्ड पोजिशन 25 गज से तथा 05 राउण्ड बेटल काउच पोजीशन 15 गज से टारगेट फिगर-II), <u>10 राउण्ड 9एमएम ब्राउनिंग पिस्टल/ग्लोक पिस्टल से</u> (05 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन सिंगल हैण्ड 15 गज से 05 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन डबल हैण्ड 25 गज से टारगेट फिगर-II), <u>10 राउण्ड एके 47/56 से</u> (5 राउण्ड हिट फायर 100गज लाईंग पोजिशन व 5 राउण्ड हिट फायर 100 गज निलिंग पोजिशन टारगेट इम्प्रोवाइज्ड से) तथा <u>5 राउण्ड 5.56 एमएम इन्सास राईफल से</u> ग्रुपिंग प्रेक्टिस 100 गज लाईंग पोजीशन से टारगेट 4X4 पर। 4. अन्तिम फायरिंग परीक्षा कॉलम 14 के विस्तृत विवरण में दर्शाये अनुसार होगी।				
ग्रुपिंग अंक (SLR) 2-4 5-6 7-8 9-10 11-12 10 09 08 07 06				
ग्रुपिंग अंक (INSAS) 2-4 5-6 7-8 9-10 11-12 20 18 16 14 12				
एप्लीकेशन एस.एल.आर. अंक B L M Q 2, 1¾, 1½, 1¼				
एप्लीकेशन एल.एम.जी. अंक 3, 2, 1½, 1				
स्नेप शूटिंग अंक -प्रत्येक हिट गोली के 01 अंक				

प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय

प्रश्न पत्र-चतुर्थ

क.सं	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
	चतुर्थ	पुलिस विषय	75	75
1.	लाठी ड्रिल-(लाठी ड्रिल में समस्त जिला/युनिट प्रशिक्षण केन्द्रों का एक ही पैटर्न अपनाया जावे)		08	6
2.	सड़क पंक्ति		06	3
3.	बलवा परेड (अनियंत्रित भीड़ के समक्ष आत्म नियंत्रण , समझाईस के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड) वास्तविक प्रेक्टिस 6 बार		25	30
4.	वाटर कैनन, अश्रु गैस, गैसगन, कैप्सी ग्रेनेड (Capsi Grenade) कैप्सी स्प्रे (Capsi Spray) गैस मास्क, पोली कार्बोनेट प्लास्टिक ढाल, हैलमेट, केन की जानकारी।		13	18
5.	फायर फाइटिंग		02	02
6.	प्राथमिक चिकित्सा		03	03
7.	तैराकी		02	02
8.	रेस्क्यू व साल्वेज		05	05
9.	बिगुल कॉल की जानकारी		04	01
10.	पुलिस कम्युनिकेशन एवं वायरलैस (अ) वायरलैस का इतिहास, इस्तेमाल एवं जोखिम (ब) संचार के प्रकार (स) रेडियो संचार (द) संदेश का लिखना व भेजना (य) संचार के अन्य तरीके फैंक्स, ईमेल, टेलीप्रिन्टर (र) संदेश भेजने एवं प्राप्त करने के सभी तरीके, वॉकीटॉकी, मॉर्ष, कोड इत्यादि का प्रेक्टिकल अभ्यास (ल) आधुनिक संचार के उपकरणों की जानकारी जैसे सैटेलाइट फोन इन्टरनेट एवं जीपीएस		07	05
	कुल योग		75	75



प्रारम्भिक प्रशिक्षण कानि. (आरएसी/एम.बी.सी.) पाठ्यक्रम आउटडोर विषय

प्रश्न पत्र पंचम

क सं०	पाठ्यक्रम			
	प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	अंक
	पंचम	फिल्ड काफ्ट	31	25
1.	फिल्ड काफ्ट (कैम्पलाईज एवं कन्साईटमेन्ट)		03	01
2.	ई.ओ.डी.		03	02
3.	मैप रीडिंग, जी.पी.एस.		02	02
4.	फील्ड टैक्टिस (सेक्शन फॉरमेशन व चांस एनकाउटर)		02	01
5.	एम्बुष व पैट्रोलिंग		03	03
6.	दस्यु उन्मूलन		02	02
7.	घेराबन्दी, दबिष व तलाषी		03	03
8.	नाकाबन्दी		02	02
9.	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रेक्टिकल) (अ) एन्टी सर्बोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्च (द) समारोह स्थल की सुरक्षा		04	04
10.	एस्कॉर्टिंग (कैष, आम्स एवं एम्युनेशन)		02	02
11.	फायर कन्ट्रोल ऑर्डर व फायर डिसिप्लेन		02	01
12.	पर्सनल सिक्योरिटी (पी.एस.ओ.)		01	01
13.	क्यु.आर.टी. का कम्पोजिशन एवं मोबिलाईजेशन तथा फिल्ड सिग्नल्स		02	01
कुल योग			31	25

Assault Test :-

Appendix-A

SL No.	Rank	Name	Unit	Start Time	Finish Time	Total Time	No of Obstacles Not Done	Total marks In Obstacles	Bonus Marks for negotiating All Obstacles In Time	Grand Total
1										
2										
3										

(A) To Qualify Assault course test it will be mandatory to obtain 40% marks in the assault Course

(B) Bonus marks ,as mentioned in table below, **two marks** will be given for negotiating the entire obstacles with in mentioned time slot.

(C) Following is the marking scheme for assault course.

S.No	Time	Marks
1.	06 mins & below	08 (Within time, attempt All Obstacles, Then he will get two marks Bonus)
2.	06 Mins 01 sec. to 07 Mins	06
3.	07 Mins 01 Sec. to 08 Mins	04
4.	08 Mins 01 sec. to 09 Mins	03

(D) If a Trainee misses or is Not able to negotiate Four or more obstacles, he will get Zero marks.

(E) Marks for obstacles :-

S.No	Obstacles	Marks,	
		Male	Fmale
1.	W,Wall	½	Not Applicable
2.	Straight Walk	½	½
3.	Leopard Cave	½	½
4.	2' 6"Feet Jump	½	½
5.	Under Crowl	½	1
6.	Volting Gate	½	½
7.	Monkey Rope	½	Not Applicable
8.	06' Feet Wall	½	1
9.	Balancing Ditch	½	1
10.	6' Feet Dumdma	½	1
11.	Zigzag Balance	½	½
12.	Staping Stone	½	½
13.	9' Feet Wall	1	Not Applicable
14.	Tarzen Swing	½	1
15.	Pipe Ladder	½	Not Applicable

(F) If a Trainee Complete Assault Course Within Above time Slots and lefts few obstacles then he will Score marks mentioned above as per time slot minus obstacles not done and will not be entitled for bonus marks.

(G) In case of LRT trainee, srl No. 01,07,13&15 Will not Applicable on LRT trainee .



रिक्रूट कानिस्टेबल (आरएसी/एमबीसी) के बेसिक प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश

1. अवधि :- प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की कुल अवधि 9 माह (270 दिवस) की होगी। इस अवधि में मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा में जंगल कैम्प एवं पासिंग आउटपरेड भी सम्मिलित है।
2. प्रशिक्षण प्रक्रिया :- प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाये जाने वाले विषयों एवं पाठ्यक्रम को परिशिष्ट प्रथम एवं द्वितीय में समाविष्ट किया गया है। प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होगा, इस हेतु साप्ताहिक टाईम टेबल तैयार किया जायेगा। संस्था प्रमुख का यह दायित्व होगा की वे यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक अपने विषय की विशेष जानकारी रखते हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नवनियुक्त आरक्षकों की प्रशिक्षण में प्रगति संतोषजनक रहे। संस्था प्रमुख व प्रभारी (इण्डोर/आउटडोर) प्रशिक्षण पर गहन पर्यवेक्षण रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे की रिक्रूट पूर्ण एवं वृहद रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करें। संस्था प्रधान, प्रभारी इण्डोर/आउटडोर की अनुशंसा पर विभिन्न यूनिट, संगठन से व्यावसायिक रूचि के विषयों पर अतिथि व्याख्यान हेतु अधिकारियों की व्यवस्था करें।
3. प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में जब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में निश्चित समयावधि में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त न कर ले। इण्डोर व आउटडोर में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर इसे अन्तिम परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षणार्थी की सेवा समाप्ति पर विचार या आगामी बैच के साथ प्रशिक्षण में शामिल करने का आदेश दिया जा सकेगा। ऐसे उपयुक्त प्रकरणों में जिनमें 90 प्रतिशत से उपस्थिति कम है, उनमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण 5 प्रतिशत की छुट ऐसे प्रशिक्षणार्थी के स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं संस्था प्रधान की अनुशंसा पर प्रदान कर सकेंगे।
4. प्रत्येक माह के अन्त में इण्डोर/आउटडोर की समस्त विषयों पर कोर्स प्रभारी/कक्षा प्रभारी/स्क्वॉड प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जायेगा, इन टेस्टों में केवल विषयपरक (Objective) एवं व्यक्तिपरक (Subjective) तरह के प्रश्न किये जावें, जो 20 अंक का होगा। इसी प्रकार प्रशिक्षण के मध्य (इण्डोर/आउटडोर विषयों का आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर) में प्रत्येक विषय की एक मध्यावधि परीक्षा होगी। मध्यावधि परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक होंगे। मध्यावधि परीक्षा संस्थान प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मध्यावधि परीक्षा के इण्डोर विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। इन परीक्षाओं के अंक अन्तिम परीक्षा के परिणाम में नहीं जोड़े जायेंगे, किन्तु यदि इन परीक्षाओं में प्रशिक्षणार्थी 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें वाछिंत सुधार लाने का प्रयास किय जायेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर प्रशिक्षण निदेशालय पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर द्वारा गठित बोर्ड द्वारा अन्तिम परीक्षा आयोजित की जावेगी। अन्तिम परीक्षा के इण्डोर विषय का प्रश्न पत्र तीन घंटे का होगा। परीक्षा का परीक्षाफल (परिणाम) प्रशिक्षण निदेशालय के अनुमोदन करने पर घोषित किया जायेगा। बोर्ड में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1. महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त | : | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक | : | सदस्य |
| 3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट | : | सदस्य सचिव |



अन्तिम परीक्षा में प्रत्येक इण्डोर व आउटडोर विषयों के लिए पृथक- पृथक 45 प्रतिशत उर्तीणांक होंगे तथा परीक्षा के समग्र उर्तीणांक 50 प्रतिशत होंगे।

5. समस्त इण्डोर व आउटडोर परीक्षायें मस्क्रेट्री एवं फायरिंग को छोड़कर गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मस्क्रेट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेन्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाकर मस्क्रेट्री फायरिंग की अंकतालिका बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. **पुरस्कार :-** प्रारम्भिक प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
 1. ऑल राउण्डर प्रथम :- स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र
 2. इण्डोर प्रथम :- स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र
 3. आउटडोर प्रथम :- स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र
 4. फायरिंग में प्रथम स्थान :- स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र
7. परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबन्धित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
8. **छूट :-** इस स्थाई आदेश की किसी भी शर्त में छूट महानिदेशक पुलिस राजस्थान ही प्रदान कर सकेंगे।

=====

